न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 198 / 2017

बउनवान

प्रेमराज पुत्र अमरलाल जाति–मीना निवासी–तुलसां तहसील–बारां जिला–बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री विजयसिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 28.10.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तुलसां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 573 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 150 /–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया और मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लो स्टाईल प्रफोर्मा पर जारी किया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 प्र0 सं0 600 / 14 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 17.10.2019 से विचाराधीन रही है। इतनी अंधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु दिनांक 16.08.2021 को अंतिम अवसर दिया जा चुका है। अभिभाषक अपीलांट आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 299/12 निर्णय दिनांक 19.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। अपीलांट की अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड में संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.09.2017 से होती है। जिसमें पटवारी हल्का ने वर्तमान में मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं होना तथा कोई राशि बकाया नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 600/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)